

लगातार

अनुसार संशोधन करवाना चाहिए है जो कि
इस प्रकार से है। 4 विचारणी अनुसंधान विभाग
30 24- अनुसंधान-2 इस्ट/ डिप्टी नरत कोष
अनुसंधान विभाग, 1974 विरक्त संदेश
दिनांक 3.11.2003 प्रकार सं 368/2016 सं-
सं. 5/2 जमा प्रस्ताव पर सं 4906 दिनांक
6.11.2003 के विरक्त

अतः प्रस्ताव पर संशोधन किया जावे तथा
अनुसंधान विभाग/ विचारणी संशोधन करने का
संदेश परिसर किया जावे।

एवं प्रस्ताव में परतुत जमीनार अधिपत
के प्रस्ताव का उपलक्षण किया तथा प्रस्ताव न्याय
विश. में उपलक्षण पूर्वक विचार करने के उपरान्त
जमीनार का प्रस्ताव पर लाघत धारा 90-A
R.L.R. Act के अंत परतुत जमीन को प्रस्ताव
एवं सं धारा 30 के अंत परतुत को नाम
माने हुए अनुसंधान संशोधन करने की
अनुमति वकील जमीनार को दी जाती है।
अतः जमीन को 24 अतः जमीन धारा 24 अंत
से इस आधार पर अंतर से काय की जावे।
तथा प्रस्ताव एवं के अंत परतुत हो।
माने हुए प्रस्ताव एवं के धारा 24 अंत
में धन की प्रति। वकील जमीनार/ धारा अनुसंधान-
अनुसंधान संशोधन शोधक प्रस्ताव परतुत काय
अनुसंधान दिनांक 27.11.11 को परतुत


डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

423

11-10